फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रेमशंकर **विपक्षी : श्री चेनराम**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 125/22**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 22.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी उपस्थित। वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री प्रेमशंकर का पेश किया, और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 1 से 6 बावजूद सूचना उपस्थित होकर वादी के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 6 वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के लिए वाद प्रस्तुत किया हैं। वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं होने से वादग्रस्त भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार नहीं होते हुए भी वादी के कब्जे काश्त में लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादीगण को रोका नहीं जाता है तो वादी खातेदार के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा नउवा पटवार हल्का नउवा की आराजी नम्बर 1551, 1552, 1558, 2764/1548, 2767/1549, 2772/1561, 2775/1562, 2778/1810, 2783/1555 किता 9 रकबा 1.9633 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 6 वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:28:13 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 125/22 (वाद) GCMS No. : 2022/324

उनवान

1. श्री प्रेमशंकर पिता जगन्नाथ डांगी निवासी कलडवास तह. गिर्वा।

.....वादी

बनाम

1. श्री चेनराम पिता मेधा डांगी निवासी नउवा तह. मावली।
2. श्री लालुराम पिता मेधा डांगी निवासी नउवा तह. मावली।
3. श्री धनराज पिता मेधा डांगी निवासी नउवा तह. मावली।
4. श्रीमती तुलसीबाई पत्नी मेधा डांगी निवासी नउवा तह. मावली।
5. श्री सुन्दरलाल पिता लालुराम डांगी निवासी नउवा तह. मावली।
6. श्रीमती मीराबाई पत्नी लालुराम डांगी निवासी नउवा तह. मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु कपिल कुमार कोठारी, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा नउवा पटवार हल्का नउवा की आराजी नम्बर 1551, 1552, 1558, 2764/1548, 2767/1549, 2772/1561, 2775/1562, 2778/1810, 2783/1555 किता 9 रकबा 1.9633 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 6 वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से करावें, वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.09.2022 को जारी की गई।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:28:13 IST
Reason: SelfAttested